(वाद सं0– 1923/4/8/2023)

12.02.2024

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, श्रीमती काजल कुमारी, के परिवाद से सम्बन्धित है, जिसमें उनका कथन है कि दिनांक–21.02.2023 को रक्सौल थाना के तत्कालीन स0अ0नि0 जितेन्द्र कुमार, द्वारा अपने कर्त्तव्य से इतर जाकर परिवादी के फौजी पति, राधामोहन कुमार, को सार्वजनिक रूप से गाली–गलौज करने, मारपीट कर, घसीटते हुए ले जाने तथा उनपर गलत मुकदमा कर, जेल भेजने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक–21.02.2023 को 01:00–01:30 बजे दिन में जब परिवादी व उसकी तीन बहनों को मैट्रिक की परीक्षा दिलाने, उसकें फौजी पति टाटा इंडिका कार से परीक्षा केन्द्र, रक्सौल जा रहे थें, तो रास्तें में कार के साईड मिरर से एक राहगीर को चोंट लग गई, जिसके लिए वहाँ आपस में थोड़ा बाता–बाती हुआ। उक्त राहगीर शांत भी हो गया। इसी बीच रक्सौल थाना के तत्कालीन छोटा बाबू, जितेन्द्र कुमार, अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ पहुँच गये तथा बिना किसी शिकायत के जबरन उसके पति को उनकी कार के साथ थाना ले चलने को कहने लगे। चूँकी परीक्षा की दुसरी पाली का समय हो गया था, इसलिए उसके पति ने कहा कि परिवादी व उसकी बहनों को परीक्षा केन्द्र पर छोड़कर वह थाना आता है। इसी बात से नाराज होकर स0अ0नि0 जितेन्द्र कुमार, अपने पुलिस जीप से परीक्षा केन्द्र के बाहर आकर उसके पति व उसे तथा उसकी बहनों को गंदी–गंदी गाली देने लगें तथा उसके पति को बुरी तरह मारते–पीटते, घसीटते हुए ले गये। इसी क्रम में उपरोक्त पुलिसकर्मी द्वारा परिवादी का मोबाईल व गले से मंगलसूत्र छीन लिया गया तथा उसकी 03 छोटी बहनों के साथ गाली–गलौज करते हुए, उन्हें अपमानित करते हुए, उनकी स्त्रीत्व लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया। बाद में उसके पति को थाना हाजत में बंद कर दिया गया तथा स्वयं उपरोक्त पुलिसकर्मी द्वारा अपने को काण्ड का सूचक बनकर गलत रूप से उसके पति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया। परिवादी का आगे कथन है कि थाना में पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने से उसके पति मरणासन्न हो गये, जिसका वीडियों रिकॉर्डिंग व मोबाईल

रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी** द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **''प्रसंगाधीन मामले की जाँच अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल से कराने का निर्देश दिया गया, जिसमें पु0नि0–सह–थानाध्यक्ष, रक्सौल द्वारा जाँच की गयी। जाँच के क्रम में पाया गया कि परिवादी के पति, राधामोहन कुमार, के विरूद्ध नसीम अख्तर, के लिखित आवेदन के आधार पर भा0द0स0 की धारा–279/337/338/341/325/323/504 के अन्तर्गत रक्सौल थाना काण्ड संख्या–85/2023, दिनांक–21.02.2023 संस्थित किया गया तथा पु0अ0नि0 जितेन्द्र कुमार, रक्सौल थाना के लिखित आवेदन पर भा0द0स0 की धारा–341/323/332/333/353/504/506/34 के अन्तर्गत एक अन्य रक्सौल थाना काण्ड संख्या–86/2023, दिनांक–21.02.2023 संस्थित किया गया है। वर्तमान में एक ही दिन संस्थित दोनों काण्ड अन्वेषणान्तर्गत है।''**

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, द्वारा अपने प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा पुलिसकर्मियों पर लगाये गये आरोपों की सत्यता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

राज्य आयोग द्वारा प्रसंगाधीन घटना को प्रथम दृष्टया मानवाधिकार हनन का मामला पाकर प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के अपर पुलिस महानिदेशक, से अपने स्तर से जाँच कर दिनांक–31.10.2023 तक राज्य आयोग को जाँच–प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग का जाँच प्रतिवेदन संचिका के पृ0–92–8/प0 पर रक्षित है। अपर पुलिस महानिदेशक के जाँच प्रतिवेदनानुसार परिवादी, काजल कुमारी, को बिहार मानवाधिकार आयोग में संचालित इस वाद (वाद सं0–1923/4/8/2023) में अब कोई अभिरूचि नहीं है।

अब, जबकि परिवादी को प्रसंगाधीन मामले में अब कोई अभिरूचि नहीं प्रतीत होती है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के जाँच प्रतिवेदन में आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव